झारखण्ड अधिविद्य परिषद,राँची
JHARKHAND ACADEMIC COUNCIL, RANCHI

Gyandeep Campus, Bargawan,
Namkum, Ranchi – 834010
Ph.:- 0651-6453342, 6453343,
6453344, 6453345
ज्ञानदीप परिसर, बड़गावाँ,
नामकुम, राँची – 834010
फोन : 0651–6453342,6453343,
6453344, 6453345
Website: www.jac.nic.in
Fax: 0651- 2261999

पत्रांक / Ref. JAC/PTT/1371/16/2561/17 **राँची , दिनांक / Date** 25/05/17

प्रेषक,

सचिव
झारखण्ड अधिविद्य परिषद्, राँची।

सेवा में,

प्राचार्य,
Damodar Valley Teachers Training college,
Vill.-Patlabari, Post.-Benagoria, Via-Mugma,
Nirsa Town/City-Chirkunda,
Distt.-Dhanbad Jharkhand

विषय :– PTT (D.EL.Ed) कोर्स के सम्बद्धता प्रदान करने के संबंध में।

महाशय,

उपर्युक्त विषयक निदेशानुसार कहना है कि राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद्, पूर्वी क्षेत्र भुवनेश्वर के पत्रांक F.No. 215.6.2/ERCAPP2602/D.El.Ed./2016/47164 दिनांक 09.06.2016 के आलोक में परिषद् के निर्णयानुसार आपके महाविद्यालय को PTT (D.EL.Ed) द्विवर्षीय पाठ्यक्रम संचालन हेतु Examinee Body के रूप में शिक्षा सत्र 2017–2018 से निम्नांकित शर्त्तों के अधीन औपबंधिक रूप से परीक्षा आयोजन के निमित्त सम्बद्धता प्रदान की जाती है।

(क) संबंधित संस्था विहित पाठ्यक्रम के अनुसार प्रशिक्षण कार्य कर संचालित करेंगे।

(ख) सत्र प्रारम्भ के 06 माह के अन्दर नामांकित प्रशिक्षुओं की सूची जिसमें उनके पिता / पति का नाम स्थायी पता एवं जन्म तिथि की प्रविष्टि हो परिषद् कार्यालय में निश्चित रूप से जमा करेंगे।

(ग) कि महाविद्यालय में प्रशिक्षुओं का नामांकन राज्य सरकार द्वारा निर्धारित मानदंड / आरक्षण आदि के प्रावधानों के अन्तर्गत मेधाक्रम में ही किया जायेगा।

(घ) भविष्य में राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद् एवं राज्य सरकार के नियम / विनियम द्वारा यथा निर्धारित किसी भी शर्त्त का पालन नहीं किये जाने एवं प्रतिकूल आदेश प्राप्ति की स्थिति में यह सम्बद्धन रद्द कर दिया जायेगा एवं महाविद्यालय उस सत्र से प्रशिक्षुओं का नामांकन नहीं कर सकेगा।

अतः वर्णित स्थिति में शिक्षा सत्र 2017–2018 के प्रशिक्षुओं का नामांकन करते हुए नामांकित प्रशिक्षुओं की सूची छः माह के अंदर अधोहस्ताक्षरी कार्यालय को समर्पित करेंगे।

विश्वासभाजन

24/5

सचिव
झारखण्ड अधिविद्य परिषद्, राँची

अनुलग्नक –

1. **झारखण्ड सरकार, मा0सं0वि0 विभाग के पत्रांक 2479 दिनांक 19.10.2011**
2. **झारखण्ड सरकार, मा0सं0वि0 विभाग के पत्रांक 1382 दिनांक 20.05.2004**